शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 50 अंक – 29 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 14 – 21 जुलाई 2025 मूल्य पांच रूपये

कड़छम–वांगतू से अब मिलेगी 18 प्रतिशत रायल्टी सुप्रीम कोर्ट का प्रदेश सरकार के पक्ष में आया फैसला

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण कानूनी सफलता मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने कड़छम – वांगतू जलविद्युत परियोजना से रॉयल्टी को लेकर राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय सुनाया है। इस फैसले के तहत अब जेएसडब्ल्यू एनर्जी कंपनी को 1045 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना से राज्य को 12 प्रतिशत के बजाये 18 प्रतिशत रॉयल्टी देनी होगी।

कड़छम – वांगतू पर इस निर्णय से प्रदेश सरकार को लगभग 150 रुपए करोड़ की वार्षिक अतिरिक्त आय होगी। इसके अतिरिक्त बारह वर्ष पूर्ण कर चुकी अन्य परियोजनाओं के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मील का पत्थर बनेगा और राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से खजाने में प्रति वर्ष 250 करोड़ से अधिक की आय आएगी। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को व्यक्तिगत प्राथमिकता पर लिया और प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ प्रयास किए। यह फैसला न केवल प्रदेश की आय में वृद्धि करेगा, बल्कि हिमाचल की जनता को उनके संसाधनों का वास्तविक लाभ भी दिलाएगा।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मई 2024 में आये आदेश को निरस्त करता है, जिसमें कंपनी को केवल 12 प्रतिशत रॉयल्टी देने की अनुमति दी गई थी। वर्ष 1999 में राज्य सरकार और कंपनी के बीच हुए समझौते के अनुसार परियोजना के पहले 12 वर्षों तक 12 प्रतिशत और उसके बाद शेष 28 वर्षों तक 18 प्रतिशत रॉयल्टी निर्धारित की गई थी। सितम्बर 2011 में परियोजना के संचालन के आरंभ होने के बाद कंपनी ने 12 वर्षों तक 12 प्रतिशत रॉयल्टी दी, लेकिन सितम्बर 2023 से अतिरिक्त 6 प्रतिशत रॉयल्टी देने से इनकार कर दिया। उसके बाद यह मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में पहुंचा और वहां पर कंपनी की जीत हुई। उसके बाद राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी।

सरकार ने देश के अग्रणी विधि विशेषज्ञों की मदद से यह मामला सशक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट मे रखा और अंतत: सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, प्राग त्रिपाठी, महाधिवक्ता अनूप कुमार रतन तथा अतिरिक्त महाधिवक्ता बैभव श्रीवास्तव सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए।

प्रदेश सरकार लगातार राज्य के हितों की प्रभावी पैरवी कर रही है और यह निर्णय उसी दिशा में एक मजबूत कदम है, जिससे हिमाचल प्रदेश अपने हकों की पुन: प्राप्ति में सफल हो रहा है।

इससे पहले भी वर्तमान राज्य सरकार ने मजबूत इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए वर्ष 2002 से कानूनी विवाद में उलझे होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल केस का फैसला भी कोर्ट से अपने हक में करवाया, जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार और एक निजी होटल समूह के बीच स्वामित्व व प्रबंधन अधिकारों को लेकर लड़ाई चल रही थी। कोर्ट के निर्णय के बाद यह संपत्ति अब फिर से राज्य सरकार के नियंत्रण में आ गई है, जिससे भविष्य में इस हेरिटेज प्रॉपर्टी से सरकार को राजस्व लाभ मिलेगा।

केन्द्र सरकार आपदा के समय राज्यों के साथ मजबूती से खड़ी है:अमित शाह

हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति व तीव्रता को देख एक बहु – क्षेत्रीय केंद्रीय टीम के गठन का निर्देश

शिमला/शैल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति व तीव्रता को देख एक बहु – क्षेत्रीय केंद्रीय टीम के गठन का निर्देश दिया है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह महसूस किया गया कि हिमाचल प्रदेश में बादल फटने, अचानक बाढ़, भूस्खलन और मूसलाधार वर्षा की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है, जिससे राज्य में व्यापक जनहानि, बुनियादी ढांचे और आजीविका को नुकसान और पर्यावरण क्षरण हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (CBRI) रुड़की, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) पुणे, भूविज्ञानी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) इंदौर के विशेषज्ञों की एक बहु – क्षेत्रीय केंद्रीय टीम गठित करने का आदेश दिया।

इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में दक्षिण – पश्चिम मानसून 2025 के दौरान बाढ़, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के मद्देनजर, केंद्र सरकार ने उनके ज्ञापन का इंतज़ार किए बिना ही, नुकसान का प्रत्यक्ष आकलन करने के लिए एक अंतर – मंत्रालयी केंद्रीय दल (IMCT) को पहले ही भेज दिया है। यह अंतर – मंत्रालयी केंद्रीय दल 18 – 21 जुलाई 2025 तक राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, केंद्र सरकार आपदाओं के समय बिना किसी भेदभाव के राज्यों के साथ मजबूती से खड़ी है। इसी दिशा में, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने वर्ष 2023 के लिए बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिये हिमाचल प्रदेश को 2006.40 करोड़ रूपये के परिव्यय को पहले ही मंजूरी दे दी है और 7 जुलाई 2025 को 451.44 करोड़ रुपये की पहली किस्त भी जारी कर दी है।

इसके अलावा, राज्य के प्रभावित लोगों की सहायता के लिए, केंद्र सरकार ने तत्काल राहत उपायों के लिए 18 जून 2025 को राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से हिमाचल प्रदेश को 198.80 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी की पहली किस्त पहले ही जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सहित सभी राज्यों को आवश्यक राष्ट्रीय आपदा मोचन बाल (NDRF) टीमें, सेना टीमें और वायु सेना की तैनाती सहित सभी प्रकार की रसद (logistic) सहायता भी प्रदान की है। राज्य में बचाव और राहत कार्यों के लिए NDRF की कुल 13 टीमें तैनात हैं।

राज्यपाल ने काशी में युवा आध्यात्मिक सम्मेलन को संबोधित किया

शिमला/शैल। 'नशा मुक्त युवा-विकसित भारत' विषय पर आयोजित युवा आध्यात्मिक सम्मेलन का समापन काशी स्थित रुद्राक्ष अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में काशी घोषणा-पत्र के औपचारिक रूप से अपनाने के साथ सम्पन्न हुआ। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में 600 से

अधिक युवा नेताओं के साथ 120 से अधिक आध्यात्मिक एवं सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया। यह आयोजन वर्ष 2047 तक नशामुक्त समाज की ओर भार की यात्रा में एक निर्णायक क्षण सिद्ध होगा।

समापन सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने काशी के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह पावन भूमि सनातन चेतना की जननी है, जहां जीवन को मूल्यों और अनुशासन के मार्ग पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति का पथ प्रशस्त होता है। आज हम केवल एकत्रित नहीं हुए हैं बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए ऐसे बीज बो रहे हैं जो आने वाले समय में बड़े वृक्ष बनकर भारत को सशक्त बनाएंगे।

राज्यपाल ने आगाह करते हुए कहा कि यदि 65 प्रतिशत युवा आबादी वाला देश नशे के चंगुल में चला जाए तो भविष्य उन्हीं के हाथों बनेगा जो इससे बाहर निकल पाएंगे।

उन्होंने हिमाचल प्रदेश में राजभवन द्वारा द्वारा संचालित 'नशा मुक्त हिमाचल अभियान' की विस्तृत जानकारी साझा की और बताया कि प्रदेश में पंचायत स्तर से लेकर महिला मंडलों, युवक मंडलों, शैक्षणिक संस्थानों और स्वयंसेवी संगठनों को नशा निवारण जागरूकता अभियान में सक्रिय भागीदार बनाया गया है।

सम्मेलन में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा कि काशी घोषणा-पत्र केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत की युवा शक्ति का साझा संकल्प है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन दिनों में हमने विभिन्न विषयों पर गहन चिंतन किया और इस मंथन का सार यह घोषणा-पत्र है जो नशा मुक्त और विकसित भारत के निर्माण का मार्गदर्शन करेगा।

समापन सत्र में अनेक विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य भाषण उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने दिया।

काशी घोषणा-पत्र में नशे की समस्या को सामाजिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बहुआयामी दृष्टिकोण से देखने पर बल दिया गया है। इसमें सरकार तथा समाज के समन्वित प्रयासों को विशेष महत्त्व प्रदान किया गया है। यह व्यसन निवारण, पुनर्वास में सहायता और राष्ट्रीय स्तर पर संयम की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और तकनीकी प्रयासों की एकजुटता पर बल देता है। यह बहु-मंत्रालय समन्वय के लिए संस्थागत तंत्र का प्रस्ताव करता है, जिसमें एक संयुक्त राष्ट्रीय समिति का गठन, वार्षिक प्रगति रिपोर्टिंग और प्रभावित व्यक्तियों को सहायता सेवाओं से जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय मंच है।

मंत्रिमण्डलीय उप-समिति ने आपदा प्रबंधन के लिए पूर्व चेतावनी तंत्र स्थापित करने को मंजूरी दी

शिमला/शैल। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आपदा प्रबंधन और पुनर्वास पर गठित मंत्रिमण्डलीय

उप-समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में हाल ही में प्रदेश में बादल फटने और बाढ़ की घटनाओं के दृष्टिगत राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में प्रभावित क्षेत्रों में अवरूद्ध सड़कों की बहाली, पुलों के पुनर्निर्माण और जलापूर्ति योजनाओं की मरम्मत जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने पर भी विचार-विमर्श किया।

मंत्रिमण्डलीय उप-समिति ने आपदा प्रबंधन के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम (पूर्व चेतावनी तंत्र) स्थापित करने को स्वीकृति दी। इस प्रणाली के माध्यम से समय-समय पर मौसम की निगरानी, पूर्वानुमान और चेतावनी आदि की सुविधा सुनिश्चित होगी। इसके सुचारू संचालन से समय रहते सावधानी बरतने से आपदा के प्रभाव को कम कर, जान-माल के नुकसान में कमी आएगी।

उप-समिति ने आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए हेलीकॉप्टर किराए पर लेने का भी निर्णय लिया ताकि राहत कार्यों में सहायता मिल सके।

जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित एक अन्य बैठक में मंत्रिमण्डलीय उप-समिति ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए भूमि नियमितीकरण से जुड़े मामलों पर भी चर्चा की। उप-समिति ने हिमाचल प्रदेश को एफसीए (वन संरक्षण अधिनियम) में रियायत दिलवाने के लिए उच्चतम न्यायालय में अपील करने का मंजूरी दी।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) कमलेश कुमार पंत, विशेष सचिव (राजस्व-आपदा) डी.सी.राणा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

हिमाचल में अस्थायी रूप से रह रहे बिहार के मतदाता एसआईआर के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन

शिमला/शैल। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसमें गणना प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि 25 जुलाई, 2025 निर्धारित की गई है। जो बिहार के निर्वाचक वर्तमान में अस्थायी रूप से हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं https://voters.eci.gov.in ECINET App अथवा अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से गणना प्रपत्र भरकर निर्वाचक नामावली में अपना नाम सत्यापित कर सकते हैं।

प्रारूप निर्वाचक नामावली 01 अगस्त, 2025 को प्रकाशित की जाएगी तथा दावे एवं आपत्तियों की अवधि 01 अगस्त से 01 सितम्बर, 2025 तक रहेगी। निर्वाचक को गणना प्रपत्र के साथ निर्धारित 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है, जैसे कि सरकारी पहचान पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, पेंशन दस्तावेज आदि।

उन्होंने बताया कि पूर्व-भरे हुए प्रपत्र डाउनलोड कर, हस्ताक्षर करके, व्हाट्सएप, ईमेल या बीएलओ के माध्यम से भी जमा किए जा सकते हैं। यदि कोई आवश्यक दस्तावेज तत्काल उपलब्ध नहीं है तो उसे दावे-आपत्ति अवधि में भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

निर्वाचक 1950 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके या नजदीकी निर्वाचन कार्यालय जाकर भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। वे ECINET App या वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति की नियमित जांच कर सकते हैं ताकि उनका नाम निर्वाचक सूची में सही रूप से सम्मिलित हो सके।

मुख्यमंत्री से मैकलोडगंज ऑटो ऑपरेटर यूनियन की मांग पर विचार करने का आग्रह किया

शिमला/शैल। ऑटो ऑपरेटर यूनियन, मैकलोडगंज (धर्मशाला) ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू

से मैकलोडगंज में ई-रिक्शा के स्थान पर पेट्रोल ऑटो रिक्शा चलाने की मांग की है।

यूनियन का प्रतिनिधिमंडल उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री से मिला। उप-मुख्य सचेतक ने मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल की समस्याओं से अवगत करवाया और इस एक मात्र मांग के समाधान की पुरजोर सिफारिश की।

पठानिया ने बताया कि प्रदेश सरकार ने मैकलोडगंज और आस-पास के क्षेत्रों में ई-रिक्शा चलाना अनिवार्य किया है। ई-रिक्शा खड़ी ढलानों, खासकर धर्मकोट, नड्डी, अप्पर भागसू, हैणी, रक्कड़ आदि पर चढ़ने में असमर्थ हैं और बीच रास्ते में ही रुक जाते हैं, जिससे यात्रियों और ऑटो चालकों को असुविधा होती है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि यूनियन की मांग को ध्यान में रखते हुए पूर्व की भांति पेट्रोल ऑटो चलाने की अनुमति प्रदान की जाए।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को इस निर्णय की समीक्षा करने और क्षेत्र के ऑटो चालकों को राहत देने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

हिमाचल प्रदेश में इंप्लाइमेंट लिंक्ड इंसेन्टिव योजना के कार्यान्वयन पर उच्च स्तरीय बैठक

शिमला/शैल। प्रदेश में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन के लिए सचिव श्रम एवं रोजगार प्रियंका बसु इंगटी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई।

बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में इंप्लाइमेंट लिंक्ड इंसेन्टिव (ईएलआई) योजना के क्रियान्वयन की रणनीति बनाना, निर्बाध कवरेज सुनिश्चित करना और हितधारकों, विशेष रूप से संगठित क्षेत्र के नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाना था।

श्रम एवं रोजगार सचिव ने सामाजिक सुरक्षा और दीर्घकालिक रोजगार को प्रोत्साहित करने के महत्व पर बल दिया, जो ईएलआई योजना का मुख्य उद्देश्य है। बैठक में नियोक्ता संघों, औद्योगिक निकायों और ट्रेड यूनियनों के साथ जागरूकता शिविर लगाने तथा संयुक्त कार्यशालाओं के आयोजन पर विस्तृत चर्चा की गई।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं राज्य सरकार के विभागों ने ठेकेदारों के माध्यम से कर्मचारियों को नियुक्त किया है, लेकिन कई ठेकेदार ईपीएफ अधिनियम का अनुपालन नहीं कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य के श्रम विभाग द्वारा ईएलआई योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए ईपीएफओ के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा ताकि हिमाचल प्रदेश में अधिकतम नियोक्ता और कर्मचारी इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों एवं राज्य सरकार के विभागों के आहरण एवं वितरण अधिकारियों के साथ ईपीएफ अनुपालन के संबंध में जल्द जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राकेश कुमार ने बताया कि ईपीएफ कार्यालय शिमला अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी प्रतिदिन ईएलआई योजना का विवरण अपडेट कर रहा है और नियोक्ताओं को भी ईमेल के माध्यम से योजना के बारे में जागरूक किया जा रहा है।

योजना के भाग-ए के तहत ईपीएफओ में पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को सरकार द्वारा दो किश्तों में 15,000 रुपये तक का एक महीने का ईपीएफ वेतन दिया जाएगा। केवल वे ही लोग पात्र होंगे जिनका एक महीने का वेतन एक लाख रुपये तक है। योजना की पहली किश्त छह महीने की सेवा के बाद देय होगी और दूसरी किश्त 12 महीने की सेवा के बाद तथा कर्मचारियों द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद देय होगी।

योजना का भाग-बी सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन के संबंध में है जिसमें विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार द्वारा नियोक्ताओं को दो वर्षों तक अतिरिक्त रूप से नियुक्त कर्मचारियों के लिए प्रतिमाह अधिकतम 3,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र के लिए योजना का लाभ तीसरे एवं चौथे वर्ष के लिए भी दिया जाएगा।

श्रम आयुक्त डॉ. वीरेंद्र शर्मा भी बैठक में उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक: जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

एग्री मशीनरी पोर्टल 18 जुलाई से होगा सक्रिय

शिमला/शैल। किसानों को आधुनिक मशीनरी की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कृषि विभाग द्वारा एग्री मशीनरी पोर्टल 18 जुलाई, 2025 से सक्रिय किया जा रहा है। इसके माध्यम से प्रदेश के किसान विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर अनुदान हेतु आवेदन कर सकेंगे।

कृषि कार्यों के मशीनीकरण से किसानों की कार्यक्षमता एवं आमदनी बढ़ती है, लागत में कमी आती है और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार होता है। कृषि विभाग का उद्देश्य किसानों को नई, आधुनिक और उन्नत किस्म की कृषि मशीनरी व उपकरण उपलब्ध करवाना है।

प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों और छोटे खेतों को ध्यान में रखते हुए पहाड़ी क्षेत्रों के अनुकूल कृषि यंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को ट्रैक्टर, पावर टिल्लर, पावर वीडर और अन्य कृषि उपकरण http://agrimachinery.nic.in पोर्टल के माध्यम से अनुदान पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

प्रदेश सरकार ने लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला किसानों को कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया है। किसानों से आग्रह है कि वे केवल केंद्र सरकार से पंजीकृत फर्मों तथा स्वीकृत मॉडल की मशीनरी की खरीद करें ताकि बाद में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

कृषि विभाग किसानों को आधुनिक मशीनरी के माध्यम से खेती को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। किसान इस पोर्टल का अधिक से अधिक लाभ उठाये।

मुख्यमंत्री ने विशेषज्ञ रोबोटिक सर्जनों की भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी सेवाएं शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार शीघ्र ही विशेषज्ञ रोबोटिक सर्जनों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। इससे मरीजों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर और उच्च गुणवत्तायुक्त चिकित्सा उपचार सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने यह जानकारी दी। इन विशेषज्ञ सर्जनों के लिए भर्ती नियमों का एक प्रस्ताव शीघ्र ही प्रदेश मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। विशेषज्ञ चिकित्सक सर्जरी करने के अलावा अन्य चिकित्सकों को रोबोटिक सर्जरी तकनीकों का प्रशिक्षण भी देंगे। इससे राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक टीम तैयार होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक तकनीक और चिकित्सा उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं। चमियाना स्थित अटल इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल सुपर-स्पेशलिटी संस्थान में शीघ्र ही रोबोटिक सर्जरी सेवाएं शुरू होंगी, साथ ही डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में भी जल्द ही रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम स्थापित किया जाएगा।

उन्होंने विभाग को चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर और इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में रोबोटिक सर्जिकल मशीनें स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने के भी निर्देश

दिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में 100 नए चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की जाएगी और चमियाना में जल्द ही 50 अतिरिक्त नर्सों की नियुक्ति भी की जाएगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ऑपरेशन थियेटर सहायकों का मासिक मानदेय 17,820 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये और रेडियोग्राफरों व एक्स-रे तकनीकी स्टाफ का मानदेय 13,100 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी क्षेत्र में पैरामेडिकल स्टाफ की कमी दूर करने के लिए 23 वर्षों के बाद प्रमुख पाठयक्रमों में प्रवेश क्षमता बढ़ाने का सरकार ने निर्णय लिया है इससे स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। आईजीएमसी शिमला में बीएससी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, और बीएससी एनेस्थीसिया एंड ओटी टेक्नोलॉजी पाठयक्रमों में सीटों की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 की गई है। टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में बीएससी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, और बीएससी एनेस्थीसिया एंड ओटी टेक्नोलॉजी में प्रत्येक पाठयक्रम में सीटों की संख्या 18 से बढ़ाकर 50 की है। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय युवाओं को राज्य में ही व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, स्वास्थ्य सचिव एम. सुधा देवी, विशेष सचिव डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सभी उपायुक्तों से दूरभाष के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति की जानकारी हासिल की। उन्होंने मौजूदा मौसम की स्थिति के दृष्टिगत अधिकारियों को सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने लोगों से बरसात के मौसम में नदी-नालों के निकट न जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी लोगों से जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने भूस्खलन, बाधित सड़कों और बाढ़ जैसी आपातकालीन स्थितियों में समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए विभागों के बीच समन्वय के महत्त्व पर भी बल दिया।

मुख्यमंत्री ने इस मौसम में आवश्यक सेवाओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

उन्होंने चंबा जिले के राजनगर की सुताह ग्राम पंचायत में भू-स्खलन के कारण एक मकान ढह जाने से हुई नवविवाहित जोड़े की मृत्यु पर भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिजनों को शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। उन्होंने प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की।

हिमुडा को थीम बेसड कॉलोनियों के निर्माण की दिशा में कार्य करने के निर्देश:राजेश धर्माणी

शिमला/शैल। नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने हिमुडा के कार्यो की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि यह नवाचार का युग है और हिमुडा को अपनी कार्य प्रणाली में नवाचार का समावेश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सतत विकास के लक्ष्य के साथ-साथ हिमाचल में सुनियोजित शहरीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में हरित पहल को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए ऑनलाइन प्रणाली विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में युवाओं की नवीन पहलों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करने पर भी विचार किया जायेगा। इससे प्रदेश में स्टार्ट-अप इको सिस्टम का भी विकास होगा। उन्होंने हिमुडा को स्टार्ट-अप और प्रशिक्षुता की दिशा में कार्य करने पर बल देते हुए स्टार्ट-अप फंड की संभावनाओं को तलाशने के भी निर्देश दिए।

राजेश धर्माणी ने कहा कि हिमाचल में हिमुडा लोगों को किफायती और बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्राथमिकता से कार्य कर रहा है। हिमाचल प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है इसके मद्देनजर हिमुडा को प्रदेश की पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं का पूरा करना चाहिए ताकि लोगों और निवेशकों का विश्वास हिमुडा पर और अधिक बढ़े। उन्होंने अधिकारियों को थीम बेसड कॉलोनियों के निर्माण की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए ताकि हिमुडा की परियोजनाएं लोगों और निवेशकों को आकर्षित कर सकें।

नगर एवं नियोजन मंत्री ने कहा कि शिमला में भीड़-भाड़ को कम करने के लिए जाठिया देवी में निर्मित होने वाली माउंटेन सिटी परियोजना के प्रथम चरण का कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना के पूरा होने से शिमला शहर से भीड़-भाड़ की समस्या का समाधान होगा। विकास नगर में प्रस्तावित अत्याधुनिक बहुउद्देश्य भवन शिमला में सबसे आधुनिक भवनों में से एक होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हरित और पर्यावरण अनुकूल भवनों के डिजाइन को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है।

बैठक में हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा, कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव डॉ. सुरेंद्र कुमार वशिष्ट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

शिक्षा मंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की शीघ्र मरम्मत के निर्देश दिए

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जिला मण्डी में हाल ही में आयी आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के सम्बंध में आयोजित समीक्षा बैठक की

अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को आपदा के कारण बुरी तरह से प्रभावित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि इन संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई बाधा न आये। उन्होंने कहा कि वह शीघ्र मण्डी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिला मण्डी में आपदा के कारण 219 विद्यालयों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 208 विद्यालय आंशिक रूप से तथा 11 विद्यालय पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुये हैं। ये सभी शैक्षणिक संस्थान नजदीकी खाली सरकारी ईमारतों, महिला मण्डलों एवं सामुदायिक भवनों में क्रियाशील हैं।

रोहित ठाकुर ने अधिकारियों को मरम्मत एवं बहाली के कार्य युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई व्यवधान न आये। उन्होंने निर्देश दिए कि क्षतिग्रस्त विद्यालयों को ऐसे रिक्त पड़े भवनों में क्रियाशील किया जाये जिनकी पहुंच विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो तथा उन्हें लम्बी दूरी तय न करनी पड़े। उन्होंने कहा कि सम्बंधित विभागों को मरम्मत कार्यो की निरंतर प्रगति सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि गुणवत्ता सुनिश्चित हो और निश्चित समयावधि में कार्य सम्पन्न हो।

शिक्षा मंत्री ने आपदा पूर्व आवश्यकता आकलन के तहत प्राप्त राशि शीघ्र जारी कर विभाग को इस राशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे विद्यालयों की मरम्मत को प्राथमिकता दी जाये जिन्हें 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान पहुंचा है।

रोहित ठाकुर ने कहा कि कई ऐसे क्षतिग्रस्त विद्यालय एवं महाविद्यालय हैं जिनके निर्माण स्थल का चयन गलत था या फिर नदियों एवं खड्डों के समीप बनाए गए थे। निर्माण स्थल के चयन व शैक्षणिक संस्थानों को छात्रों एवं भवनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नदियों एवं नालों से दूर निर्मित करने की जिम्मेदारी उप-निदेशकों की होगी।

उन्होंने इस मुश्किल समय में राहत एवं पुनर्वास कार्यो में सेवाएं दे रहे लोगों के अथक प्रयासों की सराहना की।

शिक्षा मंत्री ने राजीव गांधी आदर्श डे-बोर्डिंग विद्यालयों, अटल आदर्श विद्यालयों और शिक्षकों की लम्बित भर्ती सहित शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा ऐसे 320 अध्यापकों एवं प्रवक्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं बेहतर परीक्षा परिणाम सुनिश्चित करने में असफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मियों के खिलाफ कड़ी कारवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कर्मठ शिक्षकों, विशेषकर ऐसे शिक्षक जो दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, के समर्पण की सराहना की। उन्होंने महाविद्यालयों की नैक रैंकिंग को शीघ्र पूरा करने तथा आधुनिक सुविधाओं से सम्पन्न पुस्तकालयों को स्थापित करने के भी निर्देश दिए।

बैठक के दौरान प्रथम एजुकेशन फाउडेशन की सीईओ डॉ. रुकमिनी बैनर्जी ने बहुमूल्य विचार साझा करते हुए शिक्षा विभाग के प्रयासों की सराहना की जिनके चलते हिमाचल प्रदेश ने असर और परख सर्वेक्षणों में पांचवां स्थान हासिल किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों एवं शिक्षा क्षेत्र में किए गए नवीन बदलावों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।

शिक्षा मंत्री ने डॉ. रुकमिनी बैनर्जी का शिक्षा क्षेत्र में उनके मार्गदर्शन व सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी शिक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए उनका सहयोग प्राप्त होगा।

इस अवसर पर निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. अमरजीत शर्मा, निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली, परियोजना निदेशक राज्य समग्र शिक्षा अभियान राजेश शर्मा और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

वन विभाग और जाइका द्वारा प्रदेश की 1820 हेक्टेयर भूमि पर हरियाली लाने का संकल्प

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने इस बार 1820 हेक्टेयर भूमि पर हरियाली लाने का संकल्प लिया है। वन विभाग खुद एक हजार हेक्टेयर भूमि पर पौधे रोपेगा, जबकि राजीव गांधी वन संवर्द्धन योजना के तहत 600 हेक्टेयर भूमि पर पौधरोपण करने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में जल्द ही राज्य स्तरीय वन महोत्सव से पौधरोपण अभियान शुरू होगा। प्रदेश की बंजर जमीन पर हरियाली लाने के लिए वन विभाग ने यह लक्ष्य रखा है। इसके साथ-साथ जाइका वानिकी परियोजना ने 220 हेक्टेयर भूमि पर पौधे रोपने का लक्ष्य रखा है, जो विभागीय और जन सहभागिता के माध्यम से पूरा होगा। बता दें कि पिछली बार जाइका वानिकी परियोजना ने 1296 हेक्टेयर भूमि पर पौधरोपण किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के तहत प्रदेश में 100 हेक्टेयर भूमि पर पौधरोपण किया गया। प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने दो जून को हमीरपुर में राजीव गांधी वन संवर्द्धन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत प्रदेश की 600 हेक्टेयर जमीन पर पौधे रोपे जाएंगे। यह योजना न सिर्फ वन क्षेत्र बढ़ाने पर केंद्रित है, बल्कि स्थानीय समुदायों को आजीविका और रोजगार के नए अवसर भी देती है। इस योजना के तहत बंजर भूमि पर फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे, जिससे पर्यावरण को लाभ मिलेगा और लोगों को फल उत्पादन के माध्यम से आर्थिक मदद भी मिलेगी। यह एक दोहरा लाभ देने वाली योजना है। इस योजना के तहत स्थानीय लोगों खासकर महिला मंडलों, स्वयं सहायता समूहों और युवक मंडलों को वनों की देखरेख में भागीदार बनाना भी है। महिला मंडल, युवक मंडल और स्वयं सहायता समूह इस पहल की रीढ़ हैं। वे केवल पौधरोपण के साथ-साथ पांच वर्षों तक पौधों की देखभाल भी करेंगे। इससे पौधों की दीर्घकालिक जीवंतता सुनिश्चित होगी और सामुदायिक सहभागिता भी मजबूत होगी।

वन विभाग ने इस बार एक हजार हेक्टेयर भूमि पर पौधे रोपने का लक्ष्य रखा है, राजीव गांधी वन संवर्द्धन योजना के तहत 600 हेक्टेयर और जाइका वानिकी परियोजना ने 220 हेक्टेयर भूमि पर पौधे रोपने का लक्ष्य रखा है। कुल मिलाकर 1820 हेक्टेयर भूमि पर पौधे रोपे जाएंगे।

एक विनम्र तरीके से, आप दुनिया को हिला सकते हैं।

.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

इस वित्तीय स्थिति में कैसे संभव होगी आत्मनिर्भरता

सुक्खू सरकार ने दिसम्बर 2022 में प्रदेश की सत्ता संभाली थी। सत्ता संभालते ही प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर जनता को चेतावनी दी थी की हालत कभी भी श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। सरकार बनने के एकदम बाद पेट्रोल – डीजल पर वैट बढ़ाया। नगर निगम क्षेत्र में पानी गारबेज के रेट बढ़ाये। सस्ते राशन की दरें बढ़ाने के साथ ही उसकी मात्रा में भी कमी कर दी गई है। कर्ज लेने के जुगाड़ लगाये और हर माह कर्ज लेने की व्यवस्था कर ली। यह सब कर लेने के बाद साधन संपन्न लोगों से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये हर तरह की सब्सिडी त्यागने का आग्रह किया है। सरकार के इन फैसलों में राजनीतिक समझदारी से ज्यादा प्रशासनिक तंत्र की प्रभावी भूमिका की झलक ज्यादा नजर आती है। यह तय है कि इन फैसलों की कीमत आने वाले वक्त में जनता और सत्ताधारी दल को उठानी पड़ेगी प्रशासनिक तंत्र को नहीं।

प्रदेश को बिजली राज्य बनाने की योजनाओं का आज कितना लाभ मिल रहा है? यही सवाल पर्यटन राज्य बनाने की योजनाओं पर है? हिमाचल प्रदेश में उद्योगों को लाने के लिये जितना सरकारी निवेश किया गया है उसके मुकाबले में उद्योगों से टैक्स और रोजगार उसके अनुपात में बहुत कम मिला है। पर्यटन में तो सरकारी होटल को बन्द करने की नौबत आ गयी थी। प्रदेश में सीमेंट उत्पादन के साधन है परन्तु सारा प्राइवेट सैक्टर में है सरकार इस उद्योग में क्यों नहीं आयी इसका आज तक कोई जवाब नहीं आया है। अब यही स्थिति विद्युत उत्पादन में होती जा रही है। सरकार पूरे विद्युत क्षेत्र को प्राइवेट सैक्टर के हवाले करने की नीति पर चल रही है। पूरी उद्योग नीति पर उस समय स्वत: ही सवाल उठ जाते हैं जब यह सामने आता है कि उद्योगों की भेंट प्रदेश की वित्त निगम, खादी बोर्ड, एक्सपोर्ट निगम और एग्रो पैकेजिंग आदि कई निगम भेंट चढ़ चुके है और कई कगार पर खड़े हैं। प्रदेश की स्थिति के लिये जिम्मेदार कौन है? निश्चित रूप से प्रदेश में रही सरकारें और उनकी नीतियां ही इसके लिये जिम्मेदार रही हैं। उन नीतियों पर निष्पक्षता से विचार करने की आवश्यकता है।

आज इस वित्तीय स्थिति में प्रदेश को आत्मनिर्भर और फिर देश का अग्रिम राज्य बनाने का आश्वासन दिया जा रहा है क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है। क्या सरकार यह जनता के सामने स्पष्ट करेगी कि उसने करों और शुल्क के अतिरिक्त प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में क्या उत्पादित किया जिससे अमुक स्थायी राजस्व बढ़ा है। जब तक सरकारी क्षेत्र में उत्पादन के साधन नहीं बनाये जाते हैं तब तक प्रदेश की हालत नहीं सुधरेगी।

हिमाचल की करीब 60% जनसंख्या कृषि और बागवानी पर निर्भर है। लेकिन इसके लिए कोई कारगर योजनाएं नहीं हैं। एक समय स्व. डॉ.परमार ने त्रीमुखी वन खेती की वकालत की थी। इसी के लिए बागवानी और कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुये थे लेकिन आज इनकी रिसर्च को खेत तक ले जाने की कोई योजनाएं नहीं है। आज हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिये कृषि, बागवानी तथा वन संपदा को बढ़ाने की आवश्यकता है। स्व. डॉ. परमार की त्रीमुखी वन खेती की अवधारणा पर राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र को काम करना होगा। बागवानी विश्वविद्यालय के अनुसंधान के आर्थिकी बढ़ाने के दावों पर कदम उठाने होंगे। ऐसे ही कई अनुसंधान कृषि विश्वविद्यालय के भी हैं। आज के नेतृत्व को ईमानदारी से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को बढ़ावा देकर उसे खेत तक ले जाने का ईमानदारी से प्रयास करना होगा। यदि 60% जनसंख्या को हर तरह से आत्मनिर्भर बना दिया जाये तो प्रदेश का संकट स्वत: ही हल हो जायेगा।

भारत की विकास यात्रा के केंद्र में शिक्षा बनी रहनी चाहिए: हरदीप सिंह पुरी

जैसे – जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उसका मुख्य फोकस शिक्षा पर होना चाहिए, ये बात पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 'भारत में स्कूली शिक्षा: सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच' विषय पर सामाजिक विकास परिषद द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में कही। पुरी ने यह रेखांकित किया कि शिक्षा राष्ट्र की प्रगति के लिए बुनियादी आधार है। पुरी ने कहा कि भारत की वर्तमान 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था से 2047 तक 35 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की यात्रा उत्तरदायी और उत्पादक नागरिकों की एक पीढ़ी को सार्वभौमिक, उच्च – गुणवत्ता वाली और समावेशी शिक्षा के माध्यम से तैयार करने पर निर्भर है।

पिछले ढाई दशकों में हुई नीतिगत परिवर्तनकारी उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि 2002 में वाजपेयी सरकार के दौरान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से शिक्षा के अधिकार (आरटीई) की संवैधानिक नींव डाली गई थी, जिसने अनुच्छेद 21ए के तहत इसे मौलिक अधिकार बनाकर 6 – 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी दी। इस निर्णायक कदम ने प्राथमिक शिक्षा को एक नीति निर्देशक सिद्धांत से एक प्रवर्तनीय अधिकार में बदल दिया, जिसके परिणामस्वरूप 2009 में आरटीई अधिनियम पारित हुआ। इस ऐतिहासिक सुधार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2014 के बाद और सशक्त किया गया, जब इसे प्राथमिकता देते हुए अनेक प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से लागू किया गया।

पुरी ने यूडीआईएसई और एएसईआर रिपोर्टों के आरटीई पूर्व और पश्चात आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि मोदी सरकार के तहत शिक्षा क्षेत्र में निरंतर प्रयासों के उत्साहजनक परिणाम देखने को मिले हैं – युवा साक्षरता दर लगभग 97 प्रतिशत तक पहुंच गई है। लैंगिक साक्षरता अंतर में उल्लेखनीय कमी आई है, जिसे 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' और 'स्वच्छ भारत अभियान' जैसे प्रयासों से बल मिला है। प्राथमिक स्तर पर नामांकन दर 84 प्रतिशत से बढ़कर 96 प्रतिशत हो गई है, और उच्च प्राथमिक स्थर पर नामांकन 62 प्रतिशत से बढ़कर 90 प्रतिशत हो गई है। शैक्षिक अवसंरचना और शिक्षक संसाधनों में सुधार समान रूप से उल्लेखनीय हैं: शिक्षक – छात्र अनुपात सुधरकर 42:1 से 24:1 हो गया है, लड़कियों के लिए पृथक शौचालय वाले स्कूलों का अनुपात 30 प्रतिशत से बढ़कर 91 प्रतिशत हो गया है। वहीं बिजली से युक्त स्कूलों की संख्या 20 प्रतिशत से बढ़कर 86 प्रतिशत हो गई है। स्कूल छोड़ने की दर में भी तेज गिरावट दर्ज की गई है – जो 9.1 प्रतिशत से घटकर केवल 1.5 प्रतिशत रह गई है। भारत की व्यापक शैक्षिक यात्रा पर विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता के समय देश साक्षरता दर मात्र 17 प्रतिशत थी, जो अब राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के आंकड़ों के अनुसार लगभग 80 प्रतिशत हो चुकी है – यह एक बड़ी उपलब्धि है जो सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में अगले चरण के रूप में मार्ग प्रशस्त करती है।

पुरी ने बल दिया कि शिक्षा को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देखा जाना चाहिए, जो किसी भी राजनीतिक विचारधार से ऊपर हो, क्योंकि यह सीधे देश की विकास आकांक्षाओं को आकार देती है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि वे शिक्षा नीति के विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन ये स्पष्ट किया कि मजबूत शैक्षिक सुधार और समावेशी शिक्षा भारत की जनसांख्यिकीय शक्ति को साकार करने के लिए अत्यावश्यक हैं।

इस संगोष्ठी में प्रोफेसर मुचकुंद दुबे के विजन और उनकी विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिनके सम्मान में सामाजिक विकास परिषद में 'मुचकुंद दुबे सेंटर फॉर राइट टू एज्युकेशन' की स्थापना की गई है।

मंत्री महोदय ने इस केंद्र के पहले कार्यक्रम का उद्घाटन करने का अवसर मिलने पर आभार प्रकट किया और प्रोफेसर दुबे को एक मार्गदर्शक, असाधार राजनयिक, विद्वान और लोकबुद्धिजीवी के रूप में याद करते हुए, भारत के प्रत्येक बच्चे को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के प्रति उनके आजीवन समर्पण को रेखांकित किया।

प्रदेश में 850 से अधिक स्कूलों को मिला एक्सीलेंस का दर्जा

शिक्षा किसी भी प्रगतिशील समाज की नींव होती है। इसी सोच के साथ सरकार हर बच्चे को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए बीते कुछ वर्षो में सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में अनेक सुधारात्मक कदम उठाए हैं। स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं को सुधारने से लेकर आधुनिक विषयों और डिजिटल लर्निंग टूल्स को शामिल करने तक सरकार हर स्तर पर काम कर रही है।

नई शिक्षा नीति के तहत सरकार द्वारा स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस जैसे आधुनिक विषय शुरू करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है, जिससे बच्चों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जाएगा। बच्चों की भाषा क्षमता को बचपन से ही बेहतर बनाने के लिए अब सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से ही अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू कर दी गई है। इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस – 2025) में हिमाचल प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देशभर में 5वां स्थान हासिल किया है जबकि वर्ष 2021 में हिमाचल 21वें पायदान पर था। असर रिपोर्ट – 2025 में हिमाचल के बच्चों की पढ़ने की क्षमता पूरे देश में बेहतर आंकी गई है। शिक्षा के अधिकतर मानकों पर हिमाचल प्रदेश, देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शुमार है।

स्कूल शिक्षा व्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे – बोर्डिंग स्कूल स्थापित कर रही है। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, पुस्तकालय, खेल सुविधाएं और अन्य आधुनिक संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। कांगड़ा और हमीरपुर जिला में इन स्कूलों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसके अलावा राज्य में बड़ी संख्या में स्कूलों को स्तरोन्नत किया जा रहा है। सरकार ने 500 प्राथमिक स्कूल, 100 उच्च विद्यालय, 200 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, 48 महाविद्यालयों और 2 संस्कृत महाविद्यालयों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया है। इन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक, बेहतर भवन, प्रयोगशालाएं और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

बच्चों के भविष्य को संवारने में शिक्षक अहम भूमिका निभाते हैं। शिक्षकों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकार ने सिंगापुर के प्रतिष्ठित प्रिंसिपल्स एकेडमी के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है। सत्र 2024 – 25 में 334 शिक्षक और 50 मेधावी छात्र सिंगापुर शैक्षणिक भ्रमण पर भेजे गए। इसके अलावा 342 शिक्षक और छात्र देश के विभिन्न राज्यों में शैक्षणिक भ्रमण पर गए। मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए 10वीं और 12वीं कक्षा के 10,500 से अधिक छात्रों को मुफ्त टैबलेट वितरित किए गए हैं।

प्रदेश के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपने को साकार करने के लिए सरकार की डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत विद्यार्थी देश व विदेश में पढ़ाई के लिए एक प्रतिशत ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश में स्कूल स्तर पर क्लस्टर सिस्टम लागू किया गया है, जिससे विद्यार्थी अब अच्छे संसाधनों, साइंस लैब, खेल के मैदान और पुस्तकालय का लाभ उठा रहे हैं।

शिक्षा के साथ – साथ बच्चों की पोषण आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री बाल पोषाहार योजना के तहत 15,000 से अधिक स्कूलों में 5.35 लाख बच्चों को पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने 12.75 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

सरकार युवाओं के कौशल उन्नयन का भी ध्यान रख रही है। तकनीकी संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन ऑपरेशन, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे व्यावसायिक पाठयक्रम शुरू किए गए हैं ताकि युवाओं को रोजगार प्रदाता के रूप में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और ई – लर्निंग प्लेटफॉर्म तेजी से विकसित किया जा रहे हैं। शिक्षकों की उपस्थिति की निगरानी भी अब विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से डिजिटल रूप से की जा रही है। बच्चों के सामान्य ज्ञान को बढ़ाने और उन्हें आत्मविश्वासी बनाने के लिए स्कूलों में प्रात:कालीन सभा में रोजाना समाचार पाठन आरम्भ किया गया है।

इन मजबूत और ठोस प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। सरकार का उद्देश्य केवल बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है बल्कि उन्हें ऐसा ज्ञान और कौशल देना है जिससे वे जीवन में सफलता हासिल कर सकें। प्रदेश आज शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश के लिए एक मिसाल बनकर उभर रहा है। यह सभी प्रयास प्रदर्शित कर रहे हैं कि दृढ़ इच्छाशक्ति और सही नीतियों से किसी भी राज्य के बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बनाया जा सकता है।

नशा मुक्त युवा, विकसित भारत का सारथी

डॉ. मनसुख मांडविया
(केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री, भारत सरकार)

कहा जाता है कि अगर किसी देश को आगे बढ़ना है, विकसित होना है, तो उसका युवा सशक्त और समर्थ होना चाहिए। विश्व में भारत ऐसा देश है, जहां सबसे अधिक युवा आबादी है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारी युवा शक्ति ही निभाएगी। देश के विकास की रफ्तार युवाओं की ऊर्जा, विचार और संकल्प से ही तय होती है।

लेकिन आज राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, अपने युवाओं को नशे की लत से दूर रखना। वर्तमान में युवा वर्ग नशे के घेरे में आता जा रहा है। यह नशा न केवल उनके स्वास्थ्य बल्कि करियर, सपनों और देश की ताकत को भी प्रभावित कर रहा है। एक स्टडी के मुताबिक, भारत में 10 से 24 वर्ष की उम्र के हर 5 में से 1 युवा ने कभी न कभी ड्रग्स का सेवन किया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की रिपोर्ट के अनुसार, 8.5 लाख से अधिक बच्चे ड्रग्स की लत का शिकार हैं। ये आंकड़े बेहद डरावने और चिंतन योग्य हैं।

ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों के खात्मे के लिए भारत सरकार ने पिछले 11 वर्षों में कई प्रभावी कदम उठाए हैं।

2020 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 'नशा मुक्त भारत अभियान' की शुरुआत की। नशे की लत को रोकने और पीड़ितों की सहायता के लिए सरकार ने राष्ट्रीय नशा मुक्ति केंद्र (IRCAs) और आउटरीच – कम – ड्रॉप – इन सेंटर (ODICs) की स्थापना की। स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाए गए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने ड्रग माफिया के विरुद्ध सशक्त ऑपरेशन्स किए। साथ ही, देशभर में युवाओं की काउंसलिंग हेतु हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी स्थापित किए गए। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में भी स्थानीय प्रशासन, गैर – सरकारी संस्थाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से नशे के विरुद्ध कई बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं।

भारत इस लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में MY Bharat ने एक बड़ी पहल की है। बाबा काशी विश्वनाथ की धरती से 19 से 20 जुलाई तक 'युवा आध्यात्मिक समिट' का आयोजन किया जा रहा है। इसका थीम होगा – 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत – ' वाराणसी के पावन घाटों पर आयोजित होने वाले इस समिट का उद्देश्य, एक ऐसी राष्ट्रीय नीति बनाना है, जो युवाओं के नेतृत्व में नशा मुक्ति अभियान को सशक्त बनाए।

इस समिट में देशभर की 100 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के युवा प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और अन्य महत्वपूर्ण संस्थाएं भी इसमें सहभागिता करेंगी। इसके माध्यम से युवाओं को एक ऐसा मंच मिलेगा, जहां वो अपनी आवाज़ को सरकार और नीति निर्माताओं तक पहुंचा सकेंगे।

इस समिट में देश की नशे के विरुद्ध लड़ाई को मजबूत करने के लिए विभिन्न सेशन्स आयोजित किए जाएंगे। इसमें नशे की प्रवृत्ति, इसकी प्रकृति, प्रकार, पीड़ितों की जनसांख्यिकी, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और सरकार तथा MY Bharat के युवा स्वयंसेवकों की भूमिका जैसे विषयों पर गहन विचार – विमर्श और चर्चा होगी। साथ ही नशे की लत से उबरने वाले युवाओं की प्रेरक कहानियां और उनके अनुभव भी साझा किए जाएंगे, ताकि अन्य युवा उनसे प्रेरणा ले सकें।

अंत में एक 'काशी डिक्लेरेशन', जारी किया जाएगा, जो अगले पांच वर्षों के लिए नशा मुक्ति अभियान का रोडमैप होगा। इसमें यह तय किया जाएगा कि युवाओं को किस प्रकार नशे से दूर रखा जाए, नशे की गिरफ्त में आये लोगों की कैसे सहायता की जाए और पूरे देश में जागरूकता अभियान को किस तरह तेज किया जाए।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमेशा देश की अमृत पीढ़ी के सपनों का भारत बनाने की बात करते हैं। उनके विजन के अनुरूप, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा उठाया गया यह कदम, एक समग्र और प्रभावशाली पहल का उदाहरण बनेगा। यह पहल न केवल युवाओं को नशे से दूर रखने में मदद करेगी, बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा में भी सशक्त भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करेगी।

देश को विकसित राष्ट्र बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी युवा शक्ति की है। काशी में आयोजित होने वाला 'युवा आध्यात्मिक समिट' इस लक्ष्य की दिशा में केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय चेतना का प्रारंभ स्थल बनेगा। यह नशे के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी अभियान को नई दिशा और ऊर्जा देगा। साथ ही, युवाओं में नैतिक मूल्यों, सामाजिक ज़िम्मेदारी और आत्म – संयम का ऐसा भाव जागृत करेगा, जो न केवल उन्हें अपने जीवन में सार्थकता देगा, बल्कि देश को भी आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का माध्यम बनेगा। काशी की पवित्र धरती से उठने वाली यह पुकार, हर युवा के मन में जागृति और देशभक्ति का नया प्रकाश भर देगी और यही संकल्प 2047 के विकसित भारत की मजबूत नींव बनेगा।

बादल फटना या विकास की कीमत? पश्चिमी हिमालय की चेतावनी

राजन कुमार शर्मा

पश्चिमी हिमालय आज एक अदृश्य किन्तु तीव्र संकट की गिरफ्त में है। यहां की वादियां, जो कभी शांति और प्राकृतिक संतुलन की प्रतीक थीं, अब बार – बार आने वाली बाढ़ों, भूस्खलनों और बादल फटने जैसी त्रासदियों से जूझ रही हैं। ये आपदाएं अब केवल 'प्राकृतिक' नहीं रहीं – इनके पीछे जलवायु परिवर्तन, संवेदनशील भूगोल और मानव जनित हस्तक्षेप की एक गहरी और जटिल परस्पर क्रिया है। यह लेख इसी त्रिकोणीय संकट की परतों को उजागर करता है।

जलवायु परिवर्तनः संकट की आधारशिला

वैश्विक तापमान में वृद्धि के प्रभाव हर भू – भाग पर समान नहीं होते। अनुसंधान बताते हैं कि हिमालयी क्षेत्र वैश्विक औसत से लगभग दोगुनी गति से गर्म हो रहा है। यह असमान ताप वृद्धि मानसूनी प्रवृत्तियों में गंभीर अस्थिरता ला रही है। वातावरण में बढ़ती आर्द्रता और गर्मी से बनी नमी – समृद्ध हवाएं जब हिमालय की ऊंची ढलानों से टकराती हैं, तो तेजी से ऊपर उठकर संघनित होती हैं । यही प्रक्रिया बादल फटने की घटनाओं को जन्म देती है, जो अब अधिक सामान्य होती जा रही हैं।

इसके अतिरिक्त, वायुमंडलीय रासायनिक संरचना में भी परिवर्तन देखा गया है। एरोसोल और ब्लैक कार्बन, जो मुख्यतः वाहन उत्सर्जन, बायोमास दहन और डीज़ल उपभोग से उत्पन्न होते हैं, वर्षा – बूंदों के निर्माण को प्रभावित करते हैं। इससे वर्षा अधिक तीव्र और विनाशकारी बन जाती है। इस प्रकार, जलवायु संकट केवल तापमान की बात नहीं रह गई है। यह अब एक बहुआयामी चुनौती है।

भूगोल की भूमिकाः नाज़ुकता की नींव

हिमालय विश्व की सबसे युवा पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी भौगोलिक संरचना अब भी भूगर्भीय रूप से सक्रिय है, जहां प्लेट टकराव और भूकंपीय गतिविधियां आम हैं। खड़ी ढलानें, नाज़ुक चट्टानें, और तीव्र ऊंचाई भिन्नताएं इसे पहले से ही एक अस्थिर क्षेत्र बनाती हैं। जब अत्यधिक वर्षा या बर्फबारी होती है, तो पानी या बर्फ की परतें कमजोर भू – संरचना पर दबाव डालती हैं, जिससे भूस्खलन की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे क्षेत्रों में कोई भी अतिरिक्त दबाव। चाहे वह सड़क निर्माण हो या पहाड़ी कटाई । भूगोल की इस असंतुलन को आपदा में बदल सकता है।

मानवीय प्रभावः विकास बनाम विनाश

विकास की दौड़ में पश्चिमी हिमालय के पर्यावरणीय संतुलन की अक्सर अनदेखी की जाती है। बीते दो दशकों में बिना पर्यावरणीय समीक्षा के निर्माण, पर्यटन केंद्रित अधोसंरचना, जलविद्युत परियोजनाएं और सड़क चौड़ीकरण ने इस क्षेत्र की पारिस्थितिक सहनशीलता को बुरी तरह प्रभावित किया है। वनों की कटाई ने वर्षा जल को अवशोषित करने की प्राकृतिक क्षमता को कम कर दिया है। कंक्रीट निर्माण और पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई ने ढलानों की स्थिरता को कमजोर किया है। ऊपरी हिमालय में रासायनिक खेती और कीटनाशकों का प्रयोग वहां की नाजुक घासभूमियों और जल स्रोतों को प्रदूषित कर रहा है। इन सबका परिणाम यह है कि वर्षा अब अधिक तीव्र प्रभाव उत्पन्न करती है । मिट्टी उसे सोखने में असमर्थ है, जल नालों में नहीं समाता, बल्कि तेज़ी से बहता हुआ बस्तियों और सड़कों को बहा ले जाता है।

विकास की दौड़ में पश्चिमी हिमालय के पर्यावरणीय संतुलन की अक्सर अनदेखी की जाती है। बीते दो दशकों में बिना पर्यावरणीय समीक्षा के निर्माण, पर्यटन केंद्रित अधोसंरचना, जलविद्युत परियोजनाएं और सड़क चौड़ीकरण ने इस क्षेत्र की पारिस्थितिक सहनशीलता को बुरी तरह प्रभावित किया है। वनों की कटाई ने वर्षा जल को अवशोषित करने की प्राकृतिक क्षमता को कम कर दिया है। कंक्रीट निर्माण और पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई ने ढलानों की स्थिरता को कमजोर किया है। ऊपरी हिमालय में रासायनिक खेती और कीटनाशकों का प्रयोग वहां की नाजुक घासभूमियों और जल स्रोतों को प्रदूषित कर रहा है। इन सबका परिणाम यह है कि वर्षा अब अधिक तीव्र प्रभाव उत्पन्न करती है। मिट्टी उसे सोखने में असमर्थ है, जल नालों में नहीं समाता, बल्कि तेज़ी से बहता हुआ बस्तियों और सड़कों को बहा ले जाता है।

त्रासदियों के उदाहरणः चेतावनी के संकेत

केदारनाथ (2013): असमय मानसून, हिमस्खलन और बादल फटने की संयुक्त त्रासदी ने हजारों लोगों की जान ली। जोशीमठ धंसाव (2023): भूमिगत जल प्रवाह में अव्यवस्था और बुनियादी संरचना के दुष्प्रभाव का प्रत्यक्ष प्रमाण। उत्तरकाशी, कुल्लू, चंबा में लगातार भूस्खलन की घटनाएं अब मौसमी नहीं, संरचनात्मक हैं।

समाधान की दिशा में पहल

संकट को पूरी तरह टालना शायद संभव न हो, परंतु उसका प्रभाव कम करना हमारे हाथ में है। इसके लिए बहुआयामी और समन्वित दृष्टिकोण आवश्यक है: नीति और नियोजन स्तर पर:

पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन को कठोर बनाना सीमित निर्माण वाले 'इको – सेंसिटिव ज़ोन' घोषित करना जलविद्युत परियोजनाओं की संख्या व आकार पर नियंत्रण

स्थानीय स्तर पर: पारंपरिक जल संचयन तकनीकों का पुनर्प्रयोग

वर्षा के जल को सोखने वाले क्षेत्र (permeable zones) का निर्माण ग्रामीण समुदायों को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण वैज्ञानिक अनुसंधान और चेतावनी प्रणाली: रीयल – टाइम वर्षा एवं भूस्खलन चेतावनी सिस्टम सैटेलाइट – आधारित भू – स्थिरता निगरानी

निष्कर्ष

पश्चिमी हिमालय अब केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि एक पर्यावरणीय चेतावनी बन गया है। जब तक हम जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से नहीं लेंगे, नाजुक भौगोलिक संरचनाओं का सम्मान नहीं करेंगे, और अपने विकास मॉडल को पुनः परिभाषित नहीं करेंगे, तब तक ये त्रासदियां और घातक बनती जाएंगी। यह समय है कि हम विकास की दिशा बदलें – ऐसी दिशा में जो प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं, सहयोग करती हो। पश्चिमी हिमालय में जलवायु परिवर्तन, भूगोल और मानवीय हस्तक्षेप का सम्मिलित प्रभाव एक गंभीर और जटिल संकट पैदा कर रहा है। आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता को कम करने के लिए बहुस्तरीय, समन्वित और सतत प्रयास आवश्यक हैं। विकास और संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना ही इस संकट से निपटने का दीर्घकालिक उपाय होगा।

सोशल मीडिया पर पर्यटन को लेकर हो रहा भ्रामक प्रचार:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला के ऐतिहासिक जाखू मंदिर में पूजा – अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख – समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने

मंदिर परिसर में 108 फीट ऊंची हनुमान ध्वाजा स्थापना समारोह में भी भाग लिया।

इसके उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जाखू मंदिर के प्रति प्रदेशवासियों की विशेष आस्था है। यहां भगवान हनुमान की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है और प्रदेश सरकार इस मंदिर को आध्यात्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से और अधिक आकर्षक बनाने के लिए प्रयासरत है। मंदिर परिसर में भगवान श्री राम की प्रतिमा लगाने का भी कार्य प्रस्तावित है और वन संरक्षण अधिनियम से जुड़ी कुछ प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि यहां श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग, बैठने की व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं में भी सुधार किया जाएगा तथा इस कार्य में पर्यावरण संतुलन का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बाद में छोटा शिमला में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह का लोकार्पण किया। इस भवन में 4. 15 करोड़ रुपये के व्यय से नौ विशेष कक्षों का निर्माण किया गया है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने इस भवन का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विश्राम गृहों को आम जनता के लिए ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है। सभी विश्राम गृहों को जल्द ही ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था से जोड़ जाएगा। प्रदेश सरकार ने हिमाचल भवन और हिमाचल सदन में आम लोगों और अति विशिष्ट के लिए एक सामान किराया दर तय की है।

उन्होंने प्रदेश में आने वाले पर्यटकों का भी स्वागत किया और कहा कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिमाचल के पर्यटन को लेकर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भले ही कुछ क्षेत्रों में बारिश से नुकसान हुआ है लेकिन प्रदेश का अधिकांश हिस्सा सुरक्षित है और पर्यटकों के लिए खुला है। प्रदेश में लगभग 70 लाख लोग रहते हैं और पर्यटक बेझिझक हिमाचल प्रदेश आ सकते हैं और यहां की प्राकृतिक भव्यता सुन्दरता का आनन्द ले सकते हैं।

शोंगटोंग परियोजना का निर्माण कार्य दिसम्बर 2026 तक होगा पूर्ण

शिमला/शैल। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में न्यायालयों के मुआवजे के दावों पर गठित मंत्रिमण्डलीय उप – समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा की गई तथा समस्त सरकारी संपत्तियों सहित लोक निर्माण विभाग की सड़कों को राजस्व रिकॉर्ड में कब्जा दर्ज करने के बारे में व्यापक विचार – विमर्श किया गया।

राजस्व मंत्री ने लोक निर्माण व राजस्व विभाग के अधिकारियों को प्रदेश में 20 वर्ष से अधिक समय से निर्मित सरकारी संपत्तियों सहित विशेषकर लोक निर्माण विभाग की सड़कों को राजस्व रिकॉर्ड में कब्जा दर्शाने के लिए सभी उपायुक्तों एवं अन्य राजस्व अधिकारियों को गिरदावरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस संबंध में अगस्त, 2025 तक तुरन्त कारवाई करने तथा अनुपालना रिपोर्ट मंत्रिमण्डलीय उप – समिति को उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पिछले तीन माह के दौरान प्रदेश में लोक निर्माण विभाग की 214 सड़कों का इंद्राज सरकार के नाम कर लिया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में सड़कों का अहम योगदान है। ऐसे में सड़कों का बेहतर रखरखाव को सुनिश्चित बनाने के लिए सड़कों का लोक निर्माण विभाग के अधीन होना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को लोक निर्माण विभाग की सभी सड़कों एवं अन्य सरकारी संपत्तियों का इंद्राज समयबद्ध सुनिश्चित बनाने के भी निर्देश दिए।

इसके उपरान्त राजस्व मंत्री ने एचपीपीसीएल की 450 मेगावाट की शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना से संबंधित मुद्दों पर गठित मंत्रिमण्डलीय उप – समिति बैठक की अध्यक्षता की।

राजस्व मंत्री ने परियोजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इस परियोजना का लगभग 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को परियोजना के निर्धारित लक्ष्य को दिसम्बर, 2026 से पूर्व पूर्ण करने का आहवान किया। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि से पूर्व पूरा हो जाने की उम्मीद है। इस परियोजना के नदी अपवर्तन कार्य को पूरा कर लिया गया है जबकि बैराज का कार्य अग्रिम चरण में है।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना में कार्यरत निजी कम्पनियों द्वारा श्रमिकों का भुगतान तथा एचपीपीसीएल द्वारा ठेकेदारों का भुगतान भी समयबद्ध किया जा रहा है। उन्होंने कम्पनी प्रबन्धन को इस परियोजना को समयबद्ध पूर्ण करने के लिए यथा गति के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

बैठक में पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड तथा एडीएचएल कम्पनी के प्रतिनिधियों ने परियोजना से संबंधित किए जा रहे कार्यो की भी जानकारी उपलब्ध करवाई।

बैठक में समिति के सदस्य नगर नियोजन, आवास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

केंद्रीय दल ने थुनाग उपमंडल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया

शिमला/शैल। मंडी जिला में बरसात के मौसम में बादल फटने, बाढ़ एवं भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन करने पहुंचे केंद्रीय दल ने थुनाग उपमंडल के प्रभावित क्षेत्रों

का दौरा किया।

केंद्रीय दल ने बगस्याड व साथ लगते शरण गांव में लोगों के घरों व अन्य संपत्ति को हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान दल ने यहां स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा अन्य क्षतिग्रस्त ढांचों का निरीक्षण भी किया। ग्राम पंचायत मुरहाग के फनयार में भारी भूस्खलन से हुए नुकसान तथा ढांगु धार में छड़ी खड्ड पर बनी पेयजल योजना को हुई क्षति की जानकारी प्राप्त की। इसके उपरांत केंद्रीय दल ने थुनाग बाजार में घरों, दुकानों व विभिन्न संस्थानों को हुए नुकसान का जायजा लिया। साथ ही भारी बाढ़ से थुनाग बाजार एवं यहां की आर्थिकी पर पड़े प्रभावों की जानकारी भी प्राप्त की।

केंद्रीय दल ने आपदा से बुरी तरह प्रभावित देजी गांव में बाढ़ में बह गई सड़क व अन्य सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान का जायजा लिया। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने केंद्रीय दल को इन क्षेत्रों में हुए व्यापक नुकसान के बारे में अवगत करवाया। साथ ही यहां चलाए जा रहे बहाली कार्यो की जानकारी भी प्रदान की।

केंद्रीय दल ने लंबाथाच में शैक्षणिक संस्थानों को हुए नुकसान, पांडवशिला व कुथाह में सड़कों तथा अन्य सार्वजनिक व निजी संपत्ति को हुए नुकसान तथा बुंगरैलचौक में सड़क अधोसंरचना, स्थानीय बाजार सहित अन्य आधारभूत ढांचे को हुए नुकसान का गहनता से निरीक्षण किया।

इस दौरान स्थानीय विधायक एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी केंद्रीय दल के साथ मौजूद रहे।

विशेष सचिव (राजस्व एवं आपदा प्रबंधन) डी.सी. राणा ने आपदा प्रभावित क्षेत्रें में प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत एवं पुनर्वास कार्यो से अवगत करवाया।

सराज क्षेत्र में कई रूटों पर परिवहन निगम की मिनी बस सेवाएं बहाल: उप – मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। उप – मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम ने आपदा प्रभावित सराज विधानसभा क्षेत्र के कई मार्गो पर मिनी बस (टेम्पो ट्रैवलर) सेवाएं बहाल कर दी हैं। उन्होंने कि सराज के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जन – जीवन सामान्य होने लगा है।

उन्होंने कहा कि मिनी बस सेवाओं की शुरुआत होने से क्षेत्र के लोगों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि वे लंबे समय से यातायात सुविधा के अभाव से जूझ रहे थे। अब निगम की ओर से बगस्याड़, जंजैहली, छतरी, सराची, थुनाग और चियूणी चेत सहित विभिन्न दुर्गम मार्गो पर टेम्पो ट्रैवलर सेवाएं संचालित की जा रही हैं।

उप – मुख्यमंत्री ने कहा कि इन टेम्पो ट्रैवलर सेवाओं को बगस्याड़ में निगम की अन्य बस सेवाओं से जोड़ा गया है, जिससे यात्रियों को जिला मुख्यालय मंडी सहित अन्य गंतव्यों तक आसानी से पहुंचने की सुविधा मिलेगी। निगम ने यह सुनिश्चित किया है कि परिवहन व्यवस्था सुचारू और समयबद्ध हो ताकि स्थानीय लोगों को राहत मिल सके।

उप – मुख्यमंत्री ने कहा कि सराज क्षेत्र के लोगों को आपदा के बाद यातायात अवरुद्ध होने के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हमारी सरकार प्राथमिकता के आधार पर सभी आवश्यक सेवाओं को बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

एचपीटीडीसी कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री से की भेंट

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से

भेंट की और संघ की विभिन्न मांगों से उन्हें अवगत करवाया।

मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि एचपीटीडीसी के छह होटल – एप्पल ब्लॉसम फागू, लेक व्यू बिलासपुर, होटल चांशल रोहड़ू, होटल रोस कॉमन कसौली, होटल सरवरी कुल्लू और होटल ममलेश्वर चिंडी का संचालन एचपीटीडीसी द्वारा ही किया जाएगा। संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि वे एक वर्ष की अवधि में इन सभी होटलों को लाभ में लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार एचपीटीडीसी को सहयोग देने और कर्मचारियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मंडी जिला के तत्तापानी में आधुनिक सुविधाओं से युक्त 30 कमरों वाला एक होटल स्थापित करेगी ताकि क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें।

इस अवसर पर विधायक संजय अवस्थी, एचपीटीडीसी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हुकुम राम, महासचिव राज कुमार शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संत कुमार फेरम, राजीव सोनी, राजपाल शर्मा, श्यामा नंद, निहाल सिंह और मनोज भी उपस्थित थे।

दूध उत्पादकों ने परिवहन सब्सिडी दोगुना करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया

शिमला/शैल। कामधेनु हितकारी सोसाइटी से जुड़े दूध उत्पादकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने पंजीकृत दूध समितियों के लिए परिवहन सब्सिडी

1.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर तीन रुपये प्रति लीटर करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस वृद्धि से कामधेनु हितकारी सोसाइटी से जुड़े लगभग 6000 परिवार लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार, देश में दूध उत्पादकों को परिवहन सब्सिडी प्रदान करने वाली पहली सरकार है। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए वे मुख्यमंत्री के आभारी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए कई पहल की हैं। उन्होंने किसानों से अपनी आय बढ़ाने और आजीविका बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वह इस वर्ष सितंबर के पहले सप्ताह में कामधेनु दुग्ध समिति द्वारा आयोजित किए जाने वाले समारोह में शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से राहत मापदंडों में संशोधन कर 30 प्रतिशत करने की मांग की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के

बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में भारी वर्षा और भू-स्खलन से अब तक लगभग एक हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है जबकि मानसून की अभी शुरूआत ही हुई है। प्राकृतिक आपदा के कारण कई लोगों की जान गई है तथा सड़कों, पुलों, भवनों, पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं और विद्युत आपूर्ति परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचा है।

मुख्यमंत्री ने राहत एवं पुनर्वास कार्यो के लिए केंद्र सरकार से उदार सहायता का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 से प्रदेश को निरंतर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है और पिछले तीन वर्षो में प्रदेश को लगभग 21 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है।

सुक्खू ने अमित शाह को बताया कि प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार राज्य आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के माध्यम से हर सम्भव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बार-बार प्राकृतिक आपदाएं आने के कारण प्रदेश के लिए अपने सीमित संसाधनों से पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण तथा बुनियादी ढांचे को बहाल करना बेहद कठिन हो गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा राहत एवं पुनर्निर्माण कार्यो के लिए निर्धारित दिशा-निर्देश काफी कम है। उन्होंने वर्तमान सीमा को संशोधित कर इसे 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का आग्रह किया। इससे राज्य को राहत एवं पुनर्निर्माण कार्यो में काफी मदद मिलेगी।

अमित शाह ने मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश को हर सम्भव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से मिलकर हिमाचल की कुछ सड़कें प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में शामिल करने का आग्रह किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नई

दिल्ली में केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भू-स्खलन से हुए भारी नुकसान से अवगत करवाया।

उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यो में सहयोग तथा प्रदेश की कुछ सड़कों को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में शामिल करने का आग्रह किया।

सुक्खू ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोनाओं में विभिन्न कारणों से हो रहे विलंब के बारे में भी केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी और इन परियोजनाओं की सभी औपचारिकताएं पूरी करवाने का आग्रह किया ताकि निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में सुरंग निर्माण को प्राथमिकता देने पर भी बल दिया। इसके अलावा उन्होंने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के संबंध में भी चर्चा की जिनका मामला रक्षा मंत्रालय से उठाया गया है। उन्होंने इन सड़कों पर भी शीर्घ कार्यवाही करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अधिक संख्या में रोप-वे परियोजनाओं को स्वीकृति देने का अनुरोध किया ताकि यातायात की समस्या का समाधान कर लोगों को लाभान्वित किया जा सके।

केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हर सम्भव सहायता का आश्वासन दिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने 16वें वित्तायोग के अध्यक्ष से राजस्व घाटा अनुदान जारी रखने का आग्रह किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में 16वें वित्तायोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया से भेंट की और हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वित्तायोग से सहयोग का

आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़ करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सतत विकास लक्ष्यों सहित विभिन्न मानकों पर हिमाचल प्रदेश सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में एक है। उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयोग से राज्य के हित में सिफारिश करने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना में खर्च कई गुना अधिक होता है। इसलिए पहाड़ी राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से कम से कम दोगुना हिस्सा मिलना चाहिए।

उन्होंने आयोग से राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित राजस्व संसाधनों को ध्यान में रखते हुए राजस्व घाटा अनुदान जारी रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 15वें वित्तायोग द्वारा राजस्व घाटा अनुदान में भारी कटौती की गई है जिसके चलते राज्य को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है।

सुक्खू ने पहाड़ी राज्यों के लिए वार्षिक बजट में अलग से ग्रीन फंड का प्रावधान करने अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि इस विषय में प्रधानमंत्री के साथा भी चर्चा की गई है।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन, कर्ज से राहत, स्थानीय निकायों को अनुदान और राज्य के लिए विशेष अनुदान संबंधी दिए गए सुझावों से भी डॉ. पनगड़िया को अवगत करवाया और इन सुझावों को स्वीकार करने का आग्रह किया।

डॉ. पनगड़िया ने मुख्यमंत्री को केंद्र से हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।

राजस्व लोक अदालतों में चार लाख लम्बित मामलों का निपटारा राजस्व विभाग में क्रांतिकारी सुधार

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोगों को पारदर्शी, सुविधाजनक और त्वरित सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए पिछले अढ़ाई वर्षो में राजस्व मामलों में बड़े पैमाने पर सुधार किए हैं।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के लोगों की राजस्व मामलों से जुड़ी समस्याओं का निपटारा घर-द्वार के निकट करने के लिए राज्य में उप-तहसील और तहसील स्तर पर लोक राजस्व अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अक्तूबर 2023 से जून 2025 तक विभाग ने 3,33,892 इंतकाल, 20,369 तकसीम, 36,164 निशानदेही करने के साथ-साथ राजस्व रिकार्ड्स में 9,435 मामलों में दरुस्ती की है। इस पहल से भूमि मालिकों को काफी राहत मिली है।

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राजस्व विभाग आधुनिक तकनीकों का भी व्यापक स्तर पर उपयोग कर रहा है। अब तक 90 प्रतिशत गांवों के नक्शे 'भू-नक्शा पोर्टल' पर अपलोड किए जा चुके हैं। कुल 1.44 करोड़ खसरा नंबरों में से 1.19 करोड़ के लिए यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर (भू-आधार) बनाए जा चुके हैं। साथ ही, 71 प्रतिशत खातों को आधार नंबर के साथ जोड़ा गया है और 30 प्रतिशत भूमि मालिकों की आधार सीडिंग भी पूरी हो चुकी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राजस्व कोर्ट मामलों की फाइलिंग और प्रबंधन के साथ-साथ इंतकाल प्रक्रिया के पूर्ण डिजिटलीकरण के निर्देश भी दिए हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि लंबित राजस्व मामलों के त्वरित निपटारे के लिए हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 में संशोधन किया गया है, जिससे सक्षम राजस्व अधिकारी ई-समन जारी कर सकेंगे। इससे समन ई-मेल या व्हाट्सएप के माध्यम से जारी किये जा सकेंगे। इस प्रक्रिया से समय की बचत होगी और मामलों के निपटान में देरी नहीं होगी।

राजस्व विभाग ने पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली (माय डीड) भी शुरू की है, जिसके तहत लोग किसी भी समय और कहीं से भी रजिस्ट्री तहसीलदार को आवेदन कर सकते है। इस सुविधा से आवदेक को केवल एक बार कार्यालय आने की आवश्यकता होगी। आवेदक को कार्यालय आने के लिए निर्धारित समय दिया जाएगा और उनका कार्य एक ही बार में पूरा कर दिया जाएगा। जमाबंदी का हिंदी फार्मेट भी सरल बनाया गया है, जिसमें पारंपरिक उर्दू और फारसी शब्दों को हटा दिया गया है ताकि आम जनता को इसे समझने में आसानी हो। ई-रोजनामचा की शुरुआत भी ई-गवर्नेंस में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जिससे पटवारी रोजमर्रा की गतिविधियों का रिकार्ड रखने के साथ-साथ रिपोर्ट भरने में सक्षम होंगे। इससे तहसीलदार पटवारियों की कार्यप्रणाली की बेहतर निगरानी भी कर सकेंगे। अ नलाइन इंतकाल रजिस्टर को भी इस सिस्टम से जोड़ा जाएगा।

राजस्व विभाग डिजिटल माध्यम से हस्ताक्षरित किए गए जमाबंदी मॉडयूल पर भी काम कर रहा है, जिससे 'फरद' प्राप्त करने के लिए पटवारखाने में बार-बार जाने से छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा ऑनलाइन इंतकाल मॉडयूल तैयार करने की भी योजना है जिससे इंतकाल की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तेज होगी और इसे सीधे जमाबंदी से जोड़ा जा सकेगा।

प्रवक्ता ने कहा कि सरकार की यह डिजिटल पहल लोगों के बार-बार सरकारी कार्यालय आने की जरूरत को कम करेगी। यह कदम जनता की समस्याओं के त्वरित निवारण और ज़रूरतमंदों को राहत देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

उद्यमिता बढ़ाने के लिए राज्य में खोले जाएंगे नवाचार केंद्रः राजेश धर्माणी

शिमला/शैल। तकनीकी शिक्षा मंत्रे राजेश धर्माणी ने तकनीकी शिक्षा संबंधी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल में नवाचार आधारित संस्कृति विकसित करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रदेश के युवाओं को न्यू एज कोर्सिज का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्किल गैप विशलेषण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। विशलेषण करने के उपरान्त जिलावार कौशल विकास योजना को ध्यान में रखते हुए राज्य कौशल विकास योजना तैयार की जाएगी।

उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को वैश्विक चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है। युवाओं के न्यू एज आइडियाज को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके दृष्टिगत तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक पहल के लिए दो करोड़ रुपये के इनोवेशन फंड की स्थापना की गई है। औद्योगिक संस्थानों के प्रशिक्षुओं में नवाचार कार्यशैली को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके मद्देनजर प्रदेश के विभिन्न विभाग चुनौतिपूर्ण परियोजनाओं एवं समस्याओं को संस्थानों के प्रशिक्षुओं के साथ साझा करेंगे। प्रशिक्षुओं के नवीन नवाचारों से समस्याओं के समाधान सुनिश्चित किए जा सकेंगे।

धर्माणी ने कहा कि राज्य में सूक्ष्म, लघु उद्यमों और स्टार्ट-अप इको सिस्टम का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं के स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पोस्ट डिग्री और पोस्ट डिप्लोमा प्रशिक्षुओं के लिए नवाचार केन्द्र खोले जाएंगे ताकि उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को उद्योग जगत से संबंधित विभिन्न संघों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए ताकि युवा अपने छोटे उद्यम स्थापित कर सकें।

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप विभिन्न पाठयक्रमों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संस्थानों के प्रशिक्षकों को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान कर उनका कौशल उन्नयन किया जाएगा। युवाओं के तकनीकी कौशल और इनोवेटिव सोल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय स्मार्ट हैकाथॉन का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रशिक्षुओं के नवाचारों को पुरस्कृत किया जाता है।

बैठक में सचिव तकनीकी शिक्षा संदीप कदम और निदेशक तकनीकी शिक्षा अक्षय सूद तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

मंडी त्रासदी को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार गंभीर नहीं:जयराम

- अभी तक स्पेशल पैकेज की घोषणा क्यों नहीं ?
- 500 करोड़ के नुकसान के लिये एक करोड रुपए की घोषणा करके चले गए मुख्यमंत्री
- मंडी से कार्यालय शिफ्ट करने की बात कर रही सरकार

शिमला/शैल। भाजपा के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मंडी आपदा को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार संवेदनशील एवं गंभीर नहीं है। जयराम ने प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जो अधिशाषी अभियंता धरातल पर अच्छा काम कर रहा था उसको कुछ नेताओं के दबाव में ट्रांसफर कर दिया गया, अभी तक मंडी जिला में कोई भी वरिष्ठ अधिकारी प्रदेश सरकार की ओर से नहीं लगाया गया है। हम सीधा-सीधा कहना चाहेंगे कि जहां-जहां आपदा एवं त्रासदी आई उन सभी क्षेत्रों को पटवारियों के हवाले छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 9 दिन बाद त्रासदी ग्रस्त क्षेत्रों में आए पर केवल एक करोड रुपए की घोषणा करके चले गए पर नुकसान तो 500 करोड़ का हुआ। सवाल यह उठता है कि अभी तक मुख्यमंत्री जो की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं उन्होंने स्पेशल पैकेज की घोषणा क्यों नहीं की? प्रदेश के स्पेशल पैकेज में वह एक घर क्षतिग्रस्त होने के लिए 7 लाख की घोषणा करते हैं जिसमें से प्रदेश को केवल 4 लाख डालने पड़ते हैं और 3 लाख तो केंद्र डालता है, पर इसकी अभी तक कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई मुख्यमंत्री को इसकी वजह बतानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि फौरी राहत के नाम पर संकट से ग्रस्त जनता के साथ मजाक हुआ है अभी तक केवल 2500 रु दिए गए हैं जो कि ना के बराबर है। इससे ज्यादा मदद तो सामाजिक संस्थाओं एवं भाजपा ने कर ली है, 7 करोड़ से अधिक की सेवा राशि एवं वस्तुएं पार्टी और सामाजिक संस्थाओं द्वारा दी जा चुकी है।

नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि त्रासदी जयराम ठाकुर के क्षेत्र में आई है इसलिए सरकार मदद नहीं कर रही है। हाल ही में मुझे पंचायती राज मंत्री का टेलीफोन आया और उन्होंने कहा कि मंडी में पंचायती राज इंस्टिटयूट को शिफ्ट करना चाहिए। हम दावा करते हैं कि इस इंस्टीटयूट को त्रासदी में आज तक आंच भी नहीं आई है तो इसको शिफ्ट करने की क्या आवश्यकता पड़ गई, इसी प्रकार हॉर्टिकल्चर कॉलेज जिसके लिए हमारी सरकार ने 10 करोड रुपए आवंटित किए थे और फॉरेस्ट की क्लीयरेंस भी करवा दी गई थी यह कॉलेज 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित होना था और अगर यह बिल्डिंग बन गई होती तो आज इसमें काफी लोगों को शेल्टर दिया जा सकता था पर मुख्यमंत्री ने इसके लिए आवंटित राशि भी वापस मंगवा ली।

जयराम ठाकुर ने कहा कि हम सरकार से पूछना चाहेंगे कि अगर शिमला के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण नुकसान हो गया तो क्या आप प्रदेश की राजधानी ही बदल देंगे ?

जयराम ठाकुर ने कहा कि आप भूमि दो उसे पर सामुदायिक भवन बना यह समय की आवश्यकता है इसी प्रकार से इस भवन के साथ-साथ सामुदायिक शौचालय एवं किचन की आवश्यकता है। स्कूल खुल गए हैं और स्कूलों में रह रहे लोगों को भी वहां से भेजा जा रहा है यह कठिन परिस्थितियों है। पर सरकार राहत की मशीनरी भेज नहीं रही है, जैसे जेसीबी पोकलेन। पर कितनी जेसीबी इन क्षेत्रों में काम कर रही है उसको गिनने का काम कर रही है यह सरकार।

प्रेस वार्ता के दौरान जय राम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को त्रासदी के समय पॉलीटिकल माइलेज लेने की आवश्यकता नहीं है। सीएम ने कहा था की जय राम ठाकुर को 10 दिन के लिए मंडी बैठना चाहिए पर मैं उनको बताना चाहूंगा कि मैं 20 दिन से मंडी ही हूं। हमने इस विधानसभा क्षेत्र को बनाने के लिए जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा लगाया है यहां की तबाही का दर्द समझते हैं। जयराम ठाकुर ने जगत सिंह नेगी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राजस्व मंत्री द्वारा दिए गए सभी ब्यान गैरजिम्मेदार है। इस मंत्री ने तो अभी तक ना क्षेत्र के बारे में कोई चिंता व्यक्त करी ना इस क्षेत्र के बारे में कोई बात करी, त्रासदी ग्रस्त क्षेत्र को अपने हाल पर ही छोड़ दिया, मुख्यमंत्री को इस मंत्री बारे कड़ा संज्ञान लेना चाहिए।

जॉब ट्रेनी प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को ठगने का नया जाल: बिंदल

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने जॉब ट्रेनी मामले पर कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि यह हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को ठगने का एक नया जाल है, नौकरियों का मुद्दा न उठे इसके लिए यह सरकार के लिए एक साल का जीवनदान है। बिंदल ने सीधा-सीधा कहा कि कांग्रेस सरकार केवल युवाओं को ठगने और शोषित करने का काम करती है। डॉ. बिंदल ने कहा कि लोकतंत्र और जनतंत्र के इतिहास में शायद कांग्रेस जैसी सरकार न कभी पहले आई और न आएगी। पहले यह एक फैसला लेती ही नहीं है और जो फैसला लेती है वह जन विरोधी होता है।

डॉ. बिंदल ने कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी के वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सत्ता हासिल करने हेतु युवाओं के लिए एक जाल बिछाया था और समस्त नेताओं ने प्रदेश के गली कूचे में जा कर कहा था कि प्रदेश में 63000 पद खाली पड़े हैं और हम सत्ता में आते ही 37000 नए पदों का सृजन करेंगे

इसी के साथ पहली कैबिनेट में आते ही एक लाख पक्की नौकरियां देंगे वह भी 58 साल वाली मतलब न आउटसोर्स ना कॉन्ट्रैक्ट पर 58 साल वाली पक्की नौकरी।

बिंदल ने कहा कि कांग्रेस की वर्तमान सरकार में केवल मित्रों को नौकरियां दी जा रही है और किसी को भी नौकरी नहीं दी गई है। वन, पशु, चिकित्सक, मुख्यमंत्री मित्रों जैसे शब्द हिमाचल प्रदेश में प्रचलित और प्रसिद्ध है, और ऐसे ही लोगों को नौकरियां देने का काम चल रहा है। हिमाचल प्रदेश की लाइब्रेरी में अनेकों युवा एग्जाम की तैयारी करते हैं पर अगर एग्जाम आते हैं तो वह रद्द हो जाते हैं या उनका परिणाम रुक जाता है। हम याद दिलाना चाहेंगे कि यह वही सरकार है जिन्होंने नौकरी देने वाले संस्थान बंद कर दिए और एक ही अधिसूचना से हिमाचल प्रदेश के 1.50 लाख पदों को समाप्त कर दिया, रोजगार के अवसर एवं साधन भी समाप्त कर दिए। न आउटसोर्स पॉलिसी बनी न नौकरी देने का कोई रास्ता खुला।

डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि यह सरकार नए-नए शब्दों का प्रयोग करती है और युवाओं को ठगती है, वर्तमान जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के अंतर्गत पहले लगने के लिए एग्जाम देंगे फिर दो साल बाद फिर एग्जाम देंगे। अनुबंध पर नियुक्ति प्रक्रिया को समाप्त कर दिया, इस कर्मचारियों को न हिम केयर एवं आयुष्मान भारत का लाभ मिलेगा न मेडिकल बिल क्लियर होंगे और इन कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करेगा वह भी अभी तक क्लियर नहीं है। इस पॉलिसी को कामयाब बनाने के लिए प्रदेश सरकार के पास कोई भी फार्मूला नहीं है यह केवल मात्र युवाओं के साथ एक मजाक है।